राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(4)/विनि.क्षेत्र./अलेसे–III/ 6420-6455 दिनांक 26/9/2014

कोषाधिकारी,
बासंवाडा, प्रतापगढ, सिरोही,
उदयपुर एवं डूंगरपुर ।

विषय :– विनिर्दिष्ट अधिसूचित क्षेत्र मे सेवाऐ देने के इच्छुक लेखा कर्मियों के विकल्प पत्र लिये जाने के क्रम में। ।

संदर्भ :– इस विभाग की विज्ञप्ति एफ.4(ई)(1)(4)/विनि.क्षेत्र./अलेसे–III/ (6211–6250 दिनांक 15.9.2014 ।

विषयान्तर्गत लेख है कि विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 की अनुपालना में विभाग की संदर्भित विज्ञप्ति दिनांक (15.9.2014) द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सेवाऐं देने हेतु इच्छुक लेखाकर्मियों के विकल्प पत्र कोषाधिकारियों के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे। इस क्रम में आपके जिल के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत लेखाकर्मियों (क.लेखाकार/ लेखाकार/ सहायक लेखाधिकारी) की सूची संलग्न कर भिजवायी जा रही है, उक्त समस्त लेखाकर्मियों के विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर दिनांक 15.10.2014 तक इस विभाग भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

विभाग की उक्त विज्ञप्ति का समाचार पत्रों मे समाचार के रूप में प्रचार प्रसार करें एवं विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर आपके जिले में कार्यरत अन्य लेखाकर्मी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने हेतु अपना विकल्प देना चाहते है तो उनके विकल्प भी स्वीकार किये जाकर इस विभाग को प्रेषित करें।

(डा.अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(4)/विनि.क्षेत्र./अलेसे–III/ 6420-6455 दिनांक 26/9/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. कोषाधिकारी (उपरोक्त वर्णित कोषालयों को छोडकर शेष समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 15.9.2014 को समाचार पत्रों में **समाचार के रूप में** प्रचार करावें एवं आपके जिले के लेखाकर्मी (क0लेखाकार/लेखाकार/ सहायक लेखाधिकारी) जो उक्त क्षेत्र में अपनी सेवायें देने के इच्छुक है, के विकल्प पत्र प्राप्त कर इस विभाग को एक माह में प्रेषित करें।

(डा.अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)